Serial No. 13004 Circle: :Danapur Book No. :- 1 Deed No. 12741

Serial No. 13004 Deed No. 12741

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **11/09/2018** by **Hemant Devi**
A stamp duty of Rs. **70040**/- and other fees of Rs. **20500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 12741 in Book No. **1**, Volume No. **236** on pages from **1** to **15** and has been preserved in total **15** pages in C.D. No. **37** / Year **2018**

Signature with Date
(Aparna Shiva)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 11/09/2018 Token No: 13668 /2018

विकास एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 11/09/2018 ई0 को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

(1) श्रीमती हेमंत देवी पति का नाम श्री राज कुमार, निवास स्थान– इंडियन आर्मी, एम0 एच0 दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, पत्रालय– दानापुर कैन्ट, जिला– पटना।

(2) श्री रवि कुमार पिता का नाम श्री शिवनाथ सिंह, निवास स्थान– वेस्ट ऑफ रोड नं0– 15 ई0, राजीव नगर, पत्रालय– केशरी नगर, थाना– राजीव नगर, पिन कोड 800024, जिला– पटना।

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

Sub District Registry Office,Danapur

…kan Number 13668 | Reg. Year 2018 | Serial Number 13004 | Deed Number 12741…

…esType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

…aimant — Samrendra Singh

11/9/2018

…xecutant — Devendra Kumar Sanghwar

Devendra Kumar Sanghwar
11/9/2018

…esented By Hemant Devi

Hemant Devi
11/09/18

…ecutant — Hemant Devi

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little

Hemant Devi
11/09/18

…ecutant — Rakesh Kumar

Rakesh Kumar.
11/9/18

…ecutant — Ravi Kumar

Ravi Kumar
11/09/2018

…ntified By Manish Singh Dangi

मनिष सिंह दांगी
11/9/2018

(3) श्री राकेश कुमार पिता का नाम श्री श्यामनन्दन प्रसाद वर्मा, निवास स्थान– वार्ड नं0– 12, दाउद कोठी, ब्रह्मपुरा, लक्ष्मी मंदिर के पास, एम0 आई0 डी0 मुजफ्फरपुर।

(4) श्री देवेन्द्र कुमार संधवार पिता का नाम श्री शिव नंदन प्रसाद, निवास स्थान– पाटलीपुत्रा कॉलोनी, वाटर टावर कम्पस, बोरिंग रोड पटना, राज्य– बिहार भारतीय नागरिक, जिन्हे आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने कि स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

और

मुण्डेश्वरी मल्टीकॉन प्रा0 लि0, प्रथम तल, अमिताभ कुंज, बुद्धा कॉलोनी पटना–1 जिसका निबंधन संख्या– U45201BR2007PTC013338, दिनांक– 26 / 12 / 2007 ई0 द्वारा प्रबंध निदेशक श्री समरेन्द्र सिंह पिता का नाम स्व0 सरयू सिंह, निवासी मोहल्ला– फ्लैट नं0– 501 मुण्डेश्वरी तालूका अपार्टमेन्ट सरयू कम्पलेक्स बुद्धा कॉलोनी पटना– 1, थाना बुद्धा कॉलोनी, पत्रालय– जी0 पी0 ओ0, जिला – पटना, भारतीय नागरिक जिन्हे आगे डेवलेपर / भवन निर्माता / उन्नयनकर्ता / विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें इनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि सम्बंधित जमीन मालिक का खरीदगी सम्पत्ति है। जो जमीन मौजा– सरारी, परगना– फुलवारी, थाना– शाहपुर, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री– दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला– पटना, जिसका थाना नं0 44 (चौआलीस), तौजी संख्या– 5632, खाता संख्या– 391, (तीन सौ एकानवे) सर्वे प्लॉट संख्या– 526 (पाँच सौ छब्बीस) का अंश भाग एराजी 5083.75 वर्गफीट, यानी 11.6706 डीसमल पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल–कब्जे में है जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख कि अनुसूची– 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची – 1 में वर्णित सम्पत्ति जमीन मालिक का खरीदगी सम्पत्ति है। जिसे जमीन मालिक ने वजरिये वशिका विक्रय पत्र द्वारा दिनांक:– 11 / 09 / 2018 ई0 को नविस्ते श्री समरेन्द्र सिंह पिता का नाम स्व0 सरयु सिंह, निवास स्थान– फलैट नं0– 501, मुन्डेश्वरी तालुका आपर्टमेन्ट मेन रोड, बुद्धा कॉलोनी, थाना– बुद्धा कॉलोनी, पत्रालय– जी0 पी0 ओ0, जिला– पटना, से खरीद की है। जिसका बुक नं0– 1, जिल्द

Ravi kumar 11/09/2018
Rakesh kumar 11/09/18
Hemant Devi 11/9/18
MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD. Managing Director 11/9/18
Devendra Kumar Sandhwar 11/9/2018

नं0–235 पेज नं0–578 से 591 तक टोकन नं0–13667 सी0 डी0 नं0– 37 वशिका नं0–12740 वर्ष 2018 ई0 जो निबंधन कार्यालय दानापुर मे निबंधित हुई है। वो तिथि खरीदारी के दिन से लेकर आज तक जमीन मालिक उपरोक्त अनुसुचि संख्या– 1 में वर्णित सम्पत्ति एवं और भी अन्य दिगर सम्पत्ति पर स्वतंत्र रुप से बहैसियत सम्पत्ति के सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपना उपयोग वो उपभोग में लाते हैं। इस प्रकार जमीन मालिक प्रथम पक्ष को उपर्युक्त जमीन (जिसका विवरण चौहद्दी अनुसूची– 1 में दर्शाया गया है।) पर पूर्ण रुप से दखल कब्जा हासिल है। इस तरह लेख्य सम्पत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक–साफ है वो आज तक जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिये हैं और ना गिरवी रखे हैं और ना आज तक उपरोक्त सम्पति से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज किन्हीं अन्य व्यक्ति एवं संस्थानों के पक्ष में इस विकास एकरारनामा के अलावा लिखें हैं और न कियें हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा–खर्चा तथा क्षति–पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक का होगा।

यह कि जमीन मालिक, प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता, द्वितीय पक्ष की सहमति से यह निर्णय लिगा गया कि अनुसूची– 1 वर्णित जमीन जो कि इस विकास एकरारनामा के निबंधित हो जाने के बाद विकासकर्ता द्वारा लिए गए अन्य जमीन जो उपरोक्त परियोजना परिसर का विस्तारित क्षेत्र होगा पर एक / अनेक बहु मंजिला / डुपलेक्स / ट्रिपलेक्स / रो हाउस / परियोजना परिसर के जरूरत को ध्यान में रखते हुए हेतु अन्य चिन्हित क्षेत्र जो प्रस्तावित परियोजना तथा आर्किटेक्ट के अनुसार मान्य हो तथा सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत हो जाने के उपरान्त परियोजना परिसर का निर्माण निम्नलिखित अनुबंधन एवं शर्तो पर यह विकास एकरारनामा किया जाय:–

(1) यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची– 1 जमीन पर सक्षम प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का निर्माण एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहु मंजिला इमारत / प्रस्तावित परियोजना का विस्तार करेंगे ।

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

(2) यह कि जमीन मालिक एवं द्वितीय पक्ष डेवलपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलेपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति के उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और डेवेलपर को जमीन मालिक ने आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से डेवेलपर को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यह भी कि वे डेवेलपर को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगें।

(3) यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलेपर वचनबद्व करते हैं कि अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन पर प्रस्तावित परियोजना परिसर की संरचना करेंगें।

(4) यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता / विकासकर्ता द्वारा यह भी तय किया गया कि इस एकरारनामा की अनुसुची 1 एवं 2 में वर्णित जमीन के एराजी के एवज में कुल निर्मित क्षेत्र में से सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित परियोजना परिसर में निर्माणाधीन एक / अनेक बहु मंजिला इमारत में जमीन मालिक नं0– 1 श्रीमती हेमंत देवी को 1000 वर्गफीट का एक फलैट टु बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किग का हिस्सा होगा वो जमीन मालिक नं0– 2 श्री रवि कुमार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किग का हिस्सा होगा वो जमीन मालिक नं0– 3 श्री राकेश कुमार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किग का हिस्सा होगा एवं जमीन मालिक नं0– 4 श्री देवेन्द्र कुमार संधवार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किग का हिस्सा होगा वो बाकी भवन निर्माता / विकासकर्ता का हिस्सा होगा ।

(5) यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवलेपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बंधनों के साथ अंकित किया गया।

(6) यह कि जमीन मालिक डेवलेपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवलेपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बंधनों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची– 1 में वर्णित है।

(7) यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवलेपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरूप और आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का स्पेसिफिकेशन तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो स्टैन्डर्ड (मानक) कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वास्तुकार की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और वास्तुकार को दिये जानेवाला पारिश्रमिक डेवलेपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। वो ~~यह भी~~ तय हुआ कि आर्किटेक्अ के स्वीकृत

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

योजना के अनुसार डेवलेपर उक्त जमीन का उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् सक्षम प्राधिकार को भेजी जाएगी।

(8) यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवलेपर उक्त वास्तुकार द्वारा निर्मित प्लान सक्षम प्राधिकारों अगर हो, तो विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवलेपर करेंगे।

(9) यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवलेपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास पूर्व कार्य तथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें।

(10) यह कि प्राकृतिक विपदा कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा पॉच वर्ष की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छः महीने का कृपा काल सहित नक्शा स्वीकृत होने के तिथि से मान्य होगा ।

(11) यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों / अन्य तत्कालिक लागू प्रावधान को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / संप्रवर्तक एवं भू–स्वामी अपने–अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने / अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जाएगा । विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे । जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

(12) यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण बहुमंजिला भवन कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवलपर बिकी योग्य निर्मित इमारत का आवासिय क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक नं0– 1 श्रीमती हेमंत देवी को 1000 वर्गफीट का एक फलैट टु बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा होगा वो जमीन मालिक नं0– 2 श्री रवि कुमार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा होगा वो जमीन मालिक नं0– 3 श्री राकेश कुमार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा होगा एवं जमीन मालिक नं0– 4 श्री देवेन्द्र कुमार संघवार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा सुपुर्द कर देंगे प्रत्येक कोटि के फलैट पर अर्थात् वे फलैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो

Ravi Kumar 11/09/2018

Rakesh Kumar 11/09/18

Hemant Devi 11/9/18

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director
11/9/18

Devendra Kumar Sandhwar 11/9/2018

सदर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

डेवलपर या उनके नामित को आनुपातिक रूप से हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण स्टैन्डर्ड (मानक) कोटि का होगा ।

(13) यह कि यथावर्णित परियोजना परिसर में जमीन मालिक को निर्माणाधीन परियोजना परिसर के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारत में जमीन मालिक नं0– 1 श्रीमती हेमंत देवी को 1000 वर्गफीट का एक फलैट टु बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा होगा वो जमीन मालिक नं0– 2 श्री रवि कुमार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा होगा वो जमीन मालिक नं0– 3 श्री राकेश कुमार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा होगा एवं जमीन मालिक नं0– 4 श्री देवेन्द्र कुमार संधवार को 1350 वर्गफीट का एक फलैट थ्री बी0 एच0 के0 सुपर बिल्डप एरीया एवं एक कार पार्किंग का हिस्सा आवासिय क्षेत्र मे पाने का अधिकार होगा जिसका इमारत के पूर्णतया तैयार होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु, बहुमंजिला इमारत में जमीन मालिक का क्षेत्र का निर्धारण आपसी मेल–जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र, लिफट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य सुविधा परिसर के निवासी उपयोग करेंगे ।

(14) यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता / डेवेलपर / विकास कर्ता द्वारा यह भी तय किया गया कि प्रस्तावित परियोजना परिसर के पूर्ण होने के बाद परियोजना के रख – रखाव (मेंटेंनेंस) की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भवन निर्माता / डेवेलपर / विकास कर्ता या उनके द्वारा नियुक्त एसेट मैनेजमेंट/प्रबंधन समिति/एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य से संबंधित एकमुश्त खर्च / मासिक खर्च का आकलन उस समय किया जाएगा जिसका निर्धारण प्रति फ्लैट के हिसाब से निकाला जाएगा । जमीन मालिक मासिक सुविधा शुल्क के एवज मे जमिन मालिक द्वारा निर्माण कार्य पुरा होने पर उस समय तय राशि जो अन्य फ्लैटीय पर भी लागू होगा एक मुश्त राशि (सिक्युरिटी डिपोजिट) के रूप मे डेवेलपर को देय होगा जो जमिन मालिक द्वारा अपने हिस्से का प्लॉट बेचने की दशा मे भी जारी रहेगा।

(15) यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत / फ्लैट बनाकर और अन्यान्य टीनेमेंट्स के द्वारा जो सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधेजो के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्धेश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पड़े तो वैसे सभी वैधानिक कार्य को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं, जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :–

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

(i) उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना ।

(ii) इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्ति करना ।

(iii) पानी बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना ।

(iv) किसी भी याचिका (रिट) नोटिस या अन्य कानूनी प्रकिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट/ट्रिब्यूनल या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या ट्रिब्यूनल के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमे में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना ।

(v) जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसे बिकी अथवा लीज पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं लीज लेनेवालों से विलेख की शर्तो के अनुरूप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रूप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना ।

(vi) उपर्युक्त कथना अनुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि का स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका अग्रिम अथवा बिकी मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सपुर्तगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रूप से उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है ।

(vii) इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट / टीनेमेंट्स आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट /टीनेमेंट्स के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना ।

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

(viii) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें ।

(ix) जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना परिसर से सटे या उसके आस–पास की जमीन को जोड़कर अथवा उसी परियोजना परिसर का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।

(x) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त परियोजना परिसर का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, (आवासिय हेतु) फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य उपयोग हेतु आवश्यक इमारत नक्शे के अनुसार बनाकर करेंगे और उन्हें बेचेगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरूरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें "डेवेलपर क्षेत्र" के निर्माण पर होगा जिसे वे जिसे उचित समझे बेचे और ऐसे फ्लैट इकाइयो /टीनेमेंट्स का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें ।

(xi) पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे समक्ष अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ–पत्रों और अन्य कानूनी अथवा वैधानिक कागजातों को सक्षम प्राधिकार के अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम हैं ।

(16) यह कि जमीन मालिक घोषणा करते है :–

(i) **कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।**

(ii) कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है

(iii) कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा ।

(iv) कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी मालिक के बेनामीदार नहीं है ।

(v) कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावों को अपने खर्च पर चुनौती देंगे, तथा उक्त जमीन पर किसी प्रकार का ऋण होगा तो वह राशि जमीन मालिक के हिस्से से डेवलपरस कटौती करेंगे ।

(vi) कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे ।

(vii) कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्धेश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरूद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे ।

(viii) कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत सम्पत्ति में अपने हिस्से को बेचने पट्टा पर देने अथवा निवटारा करने का अधिकार होगा ।

(17) उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के अनयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा ।

(18) इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनो पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का बिकी योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरित करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठाएंगे

(19) डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत/परियोजना परिसर का नाम होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा डेवेलपर ही सरकार, सक्षम प्राधिकार के अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाबदेह होंगे ।

(20) जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त

Raj Kumar 11/09/2018
Rakesh Kumar 11/9/18
Hemant Devi 11/9/18
Managing Director 11/9/18
Devendra Kumar Sandeep 11/9/2018

जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं, जो अपने हिस्से की Flat बिकी के निमित एकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे ।

(21) इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नॉमिनी द्वारा वहन किया जाएगा ।

(22) विकास नक्शा स्वीकृत होने के तिथि से पॉच वर्ष के बाद छः महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवलेपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक को बिकी योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चुंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं किसी दैवी कारण या नियंत्रण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूवोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पूरा न करने के कारण डेवलेपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

(23) इस मनोबंध के शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिकी योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त परिसर के निवासी को परम निर्मित क्षेत्र तथा, गवाक्ष, सीढी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी परिसर के निवासी को अधिकार होगा । परिसर में स्थित सुविधा उपयोग करने की शर्तें जमीन मालिक तथा डेवेलपर के द्वारा सामूहिक रूप से तय किया जाएगा ।

(24) इमारत की योजना में डेवेलपर सभी सामान्य (सिविल), बिजली, प्लम्बिंग और सेनेटिरी कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, नल पम्प, गृह सेवा आदि शमिल है वे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल करेंगे ।

(25) उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानुन अथवा किसी अन्य कानुन के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमे में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे ।

(26) प्रस्तावित इमारत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी ।

(27) इस उन्नयन मनोबंध से प्राप्त जमीन मालिक के हिस्से के फ्लैट का सर्विस टैक्स, होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, मासिक / वार्षिक रखरखाव

NUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.
Managing Director

Hemant Devi 11/9/18
Ravi Kumar 11/09/2018
Rakesh Kumar 11/9/18
Devendra Kumar Suman 11/9/2018

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

खर्च या किसी भी तरह का सरकारी कर जमीन मालिक को वहन करना होगा ।

(28) यह कि भवन निर्माण के दौरान अगर किसी मजदुर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो डेवलपर इसकी पुरी जबाबदेवी लेगे और जमीन मालीक को इसके लिये जिम्मेदार नही ठहराया जायेगा।

(29) यह कि डेवलपर सक्षम प्राधिकार के नियम परिनियम और कानूनों को द्वढता से पालन करेगे और किसी क्षति पुर्ति, दावा या अन्य मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उन्नत हो उस पर डेवलपर की पूरी जबाबदेही होगी और उसका हर्जाना डेवलपर द्वारा जमीन मालीक को देय होगा।

यह कि लेख्य प्लौट से संबंधित जरूरी कार्यो के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत हैं ।

अनुसुची नं0–1

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा– सरारी परगना– फुलवारी, थाना– शाहपुर, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री– दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला– पटना, जिसका थाना नं0 44 (चौआलीस), तौजी संख्या– 5632, खाता संख्या– 391 (तीन सौ एकानवे) सर्वे प्लॉट संख्या– 526 (पाँच सौ छब्बीस) का अंश भाग एराजी 5083.75 वर्गफीट यानी 11.6706 डीसमल।

चौहद्दी

उत्तरः– महेन्द्र प्रसाद वो प्यारे पंडित वगैरह।

दक्षिणः– पार्ट प्लॉट संख्या– 526 नीज लेख्यकारी।

पुरब :– सिवाना लखनी बिगहा वो सर्वे प्लॉट संख्या– 13

पश्चिमः– सर्वे प्लॉट संख्या– 515 वो 520 एवं 517

जमीन का मुल्य मो0: 35,02,000/– रूपया (पैतीस लाख दो हजार रूपया) मात्र है ।

अनुसुची नं0–2

<u>संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण</u> ।

TATA TISCON IRON RODS

ढांचा– सक्षम विभाग द्वारा स्वीकृत आर0सी0सी0 फेम ढांचा एवं भूकम्प अवरोधी ।

सिविल कार्य – स्टैन्डर्ड (मानक) कोटी का सिमेंट बालू एवं मसाला।

परिसज्जनः– सभी दीवाल तथा भीतरी सतह पर सफेद सीमेंट पुट्टी।

दरवाजे –दरवाजे का ढांचा स्टैन्डर्ड (मानक) सामग्री का तथा मुख्य दरवाजे पर लकडी / स्टैन्डर्ड (मानक) सामग्री का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला वाटर प्रुफ प्लाई बोड स्टैन्डर्ड (मानक) कोटि का होगा और उसपर दो तह सिंथेटिक इनेमल पेंट होगा पेंट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नहीं होगा ।

खिड़कियॉं–आल्युमीनियम या यू0पी0भी0सी0 के फेम में सीसा के साथ ।

फर्श– विट्रीफाईड टाईल्स ।

शौचालय– शौचालय में गर्म पानी का नल उच्च स्तर का होगा, टाईल्स 7 फीट की उॅंचाई तक रंगीन लस्टर एवं उसी रंग का जमीन सभी शौचालय का साजोसामान आई एस आई मार्का का उपयोग होगा । किचेन का जमीन विट्रीफाईड का होगा।

रसोईघर– हरे संगमरमर का कार्य प्लेटफार्म तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी प्लेटफार्म से 2 फीट उंचा रंगीन ग्लेज्ड टाईल्स ।

बिजली व्यवस्था– मानक बिजली सामग्री के साथ कनसील्ड पी० भी० सी० कण्डूईट वायरिंक शयन कक्ष मे ए० सी० प्वाइंट। उपरोक्त स्पेसीफिकेशन मे प्रमोटर/आर्किटेक्ट द्वारा जो परामर्श होगा वह किया जायेगा।

यह कि यह एकरारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच–समझकर निम्नलिखित गवाहों समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे । दिनांक–

ग्वाहगण का हस्क्षर

(1) 11/9/18

Hemant Devi 11/9/18

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

Ravi Kumar 11/09/2018

Rakesh Kumar 11/9/18

Devendra Kumar 11/9/2018

Rajeet Kumar S/o Sri Shidhar Ram Singh Khagaul Patna 11/9/18

MUNDESHWARI MULTICON (P) LTD.

Managing Director 11/9/18

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

(श्री समरेन्द्र सिंह)
प्रबंध निदेशक
मुण्डेश्वरी मल्टीकॉन
प्रा० लि०

52102

13

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 70040/-	Amt.Paid By N.J.Stamp Paper	Rs.	0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	90540/-

FEE PAID	Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge
A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		LLR	0	
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		Proc.Fee	0	500
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		Total	0	
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0				
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0						
								TOTAL-	20000				

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20500

Date: 11/09/2018

Registering Officer,
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 11th September 2018 by Hemant Devi W/O- Ra Kumar by profession Others. Status - Executant

Hemant Devi 11/09/18

Signature/L.T.I. of Presentant Date:11/09/2018

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manish Singh Dangi' age '25' Sex 'M', 'S/O- Ramashish Singh', resident of 'Sarari, Khagaul, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 11/09/2018

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 236 on pages on 1 -15, for the year 2018 and stored in CD volume No. CD-37 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 11/09/2018

Token No. : 13668 Year : 2018 S.No. : 13004 SCORE Ver 4.1 Deed No. :d No. : 12741

9/11/20

प्रारुप 1

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U45201BR2007PTC013338 2007 - 2008

मैं एतदद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स

MUNDESHWARI MULTICON PRIVATE LIMITED

का पंजीकरण, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अतंर्गत आज किया जाता है और यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड है।

यह निगमन-पत्र आज दिनांक छब्बीस दिसम्बर दो हजार सात को मेरे हस्ताक्षर से पटना मे जारी किया जाता है।

Form 1

Certificate of Incorporation

Corporate Identity Number : U45201BR2007PTC013338 2007 - 2008

I hereby certify that MUNDESHWARI MULTICON PRIVATE LIMITED is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is private limited.

Given under my hand at Patna this Twenty Sixth day of December Two Thousand Seven.

(KESHAW PRASAD)

कम्पनी रजिस्ट्रार / Registrar of Companies

बिहार एंड झारखण्ड

Bihar and Jharkhand

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

MUNDESHWARI MULTICON PRIVATE LIMITED

GROUND FLOOR, BAMHAUR PALACE,, OPPOSITE SRI KUNJ, MAIN ROAD, BUDHA COLONY,

PATNA - 800001,

Bihar, INDIA

कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार एवं झारखण्ड

Registrar of Companies Bihar & Jharkhand

भारत सरकार
Government of India

मनीष सिंह दाँगी
Manish Singh Dangi
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1992
पुरुष/ MALE

8475 3708 4576

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:
S/O: Ramashish Singh, gram sarari post khagaul, Sarrari, Patna, Bihar - 801105

पता:
आत्मज: रामाशीष सिंह, ग्राम सरारी पोस्ट खगौल, सरारी, पटना, बिहार - 801105

8475 3708 4576

पहचान

अवर निबंधन कार्यालय * दानापुर (पटना) *

E-CHALLAN
Government of Bihar
BTC-4

Valid Upto	:	23/09/2018	Date	:	08/09/2018 11:02:24 AM
GRN	:	BHR2018090366638M			
Department	:	Registration, Excise & Prohibition Department			
Office Name	:	Danapur	From	:	
Financial Year	:	2018-2019	To	:	
Treasury	:	Danapur			

ACCOUNT HEAD DETAILS	PAY AMOUNT
R0030021030001-75-49-STAMP DUTY ON IMPRESSING OF DOCUMENTS	70040.00
R0030031040001-75-49-FEES FOR REGISTERING DOCUMENTS	20000.00
R0029008000006-00-01-LANDLORD REVENUE AND PROCESSING FEES	0.00
Total Amount : Rupees Ninety Thousand Fourty Only	90040.00

PAYER DETAILS

Tax ID (if any)	:	
Unique Id	:	
Name	:	MUNDESWARI MALTICON P V T
Address	:	BUDHA COLLNY PATNA

PAYMENT DETAIL

BANK Name	:	SBI
Branch	:	

FOR USE IN RECEIVING BANK

CIN	null	REF No	CPJ6480963
Date & Time	:	08/09/2018 11:02:24 AM	
Scroll No & Date	:		

Cut Here

भारतीय स्टेट बैंक

BANK OF INDIA